



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072020-220613
CG-DL-E-21072020-220613

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2108]
No. 2108]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2020/आषाढ़ 29, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2020/ASHADHA 29, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2020

का.आ. 2393(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 1249(अ), दिनांक 29 मार्च, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या मंत्रालय की ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

आरालम वन्यजीव अभयारण्य 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तथा कन्नूर जिला के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। अभयारण्य केरल राज्य में कन्नूर जिला के इरट्टी तालुक में आरालम, केलाकम और कोट्टीयूर राजस्व ग्रामों के अंतर्गत आता है;

और, आरालम वन्यजीव अभयारण्य उत्तर अक्षांश 11°54' और 11°59' उत्तर अक्षांश और 75°47' और 75°57' के बीच स्थित है और केरल राज्य का उत्तरी मुख्य संरक्षित क्षेत्र है। अभयारण्य कर्नाटक राज्य के कुर्ग (कोडगु) जिला के वनों के साथ निकटस्थ पश्चिमी घाटों के उत्तर पश्चिम ढलानों में स्थित है। अभयारण्य का गठन जी ओ (पी) 300/84/एडी दिनांक 15 अक्टूबर, 1984 के अनुसार वर्ष 1984 में किया गया था। इसका गठन थालास्सेरी विशेष प्रभाग के ओदंथोडे मालावरम से क्षेत्रों को तराश कर किया गया था, जो पूर्ववर्ती निजी वन था, जिसे बाद में केरल निजी वनों (संपन्न और निर्धारण) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार और वयानाद वन प्रभाग के कोट्टीयूर रिज़र्व वन से सरकार द्वारा लिया गया। अभयारण्य का निहित वन भाग 32.64 वर्ग किलोमीटर है और बाकी 22.36 वर्ग किलोमीटर कोट्टीयूर रिज़र्व वन का भाग है। 30 जून, 1998 तक यह अभयारण्य वायानाड वन्यजीव प्रभाग की श्रेणी में था। इसने 1 जुलाई, 1998 से जी.ओ (एम एस) 36/98 दिनांक 27 मई, 1998 के अनुसार स्वतंत्र वन्यजीव प्रभाग के रूप में कार्य करना आरंभ किया;

और, आरालम वन्यजीव अभयारण्य और समीपवर्ती क्षेत्रों के वन केरल में अद्वितीय वनस्पति उप-प्रकार अर्थात् डिप्टोकार्पस- मेसुआ-पैलक्यूम उप प्रकार से संबंधित वनस्पति के एकमात्र संघन संरक्षित पैच का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षेत्र की इडाफिक स्थितियां दक्षिणी पहुंच से अलग है;

और, आरालम वन्यजीव अभयारण्य समीपवर्ती वयानाद ब्रह्मगिरि और वयानाद उत्तरी ढलानों के साथ आगे तक फैले वनों का सन्निहित खंड है। वन संरक्षित क्षेत्र कर्नाटक राज्य में अर्थात् ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य के साथ और कूर्ग के वनों के साथ भी समीपवर्ती है और विशेष रूप से बड़े-बड़े स्तनधारियों जैसे गौर, हाथी, बाघ और स्थानिक प्राइमेट जैसे शेर टेल्ड मैकाक, नीलगिरी लंगूर और पक्षियों जैसे मालाबार पाइड धनेश और ग्रेट पाइड धनेश के विषय के संबंध मेंटा जनसंख्या प्रबंधन में अधिक महत्त्व रखते हैं। यह एकमात्र क्षेत्र है जहां पश्चिमी घाट के केरल भाग के अंतर्गत मालाबार पाइड धनेश की अधिकतम संख्या मिलती है;

और, आरालम वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाटों के साथ उत्तर से दक्षिण तक फैले संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में महत्त्वपूर्ण संपर्क बनाते हैं। आरालम वन अपनी स्थानीय विशेष पारिस्थितिकी के साथ स्थानिक प्रजातियों की विविधता को आश्रय प्रदान करते हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर है। अभयारण्य की एक अन्य अद्भुत विशेषता है, कि इसमें दिनचर प्राइमेट जैसे सिंह पुच्छ लघु पुच्छ वानर (*मकाका सिलेनस*), नीलगिरी लंगूर (*सेमनोपिथेकस जोहनि*) (एनएल), ब्लैक फूटेड ग्रे लंगूर (*सेमनोपिथेकस ह्यपोलेउकस*), सामान्य लंगूर और हनुमान लंगूर (*सेमनोपिथेकस इंटेल्लुस*) और बोन्नेट मकाक्यूइस (*मकाका रेडिअटा*) की 5 प्रजातियां और रात्रिचर प्राइमेट जैसे मालाबार तवांग (*लोरिस लेडेक्केरिअनस मालाबरिकस*) की एक प्रजाति विद्यमान है;

और, अभयारण्य की मुख्य वनस्पति कुन्निवाका (*अल्बिजिया प्रोसेरा*), एज़िलमपला (*एलस्टोनिया स्कॉलरिस*), कसुमावु (*आनाकार्डियम ऑस्किडेल*), चेमपारावाल्ली (*अमपेलोकिस्सुस इंडिका*), मुला (*बम्बूसा बम्बूसा*), मुलुवेनगा (*ब्रिजेलिया रेटुसा*), पेहेजू (*केरिया अरबोरिया*), कनिकोन्ना (*कैशिया फिस्तुला*), कोडांगाल (*सेटेल्ला असिअटिका*), ईट्टी (*डालबर्गिया लेटिफोलिया*), अरासु (*फिकस धर्मियोसा*), कुडाम्पुली (*गार्सीनीयगुम्मी-गुट्टा*), चडाची (*ग्रेविया टिल्लिफोलिया*), मंजाकाडाम्बु (*हल्दिना कर्डिफोलीया*), अरिप्पु (*लैंटाना कैमारा*), वेंथेक्कु (*लार्गेस्टोमिया लरंकेओलाटा*), कडमबु (*मित्रागयान परविफोलिया*), मावु (*मंगिफेरा इंडिका*), नाइकाम्बागम (*परूनस सेयलानिका*), मझवाका

(सेमानिअसामान स्पा), टेक (टेकटोना ग्रांडिस), मारुथ (टर्मिनलिया पानिकुलाटा), मायलेल्लु (विटेक्स अलटीस्सिमा), कोट्टा (जिजिफस क्यलोपरुस), आदि है;

और, आरालम वन्यजीव अभयारण्य की जीवजंतु में एशियाई हाथी (एलिफस मैक्सिमस), बाघ (पैंथेरा टिगरिस), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रज्यूस), तेंदुआ बिल्ली (फेलिस बेंगालेंसिस), चित्तीदार हिरण (मुंतिअकस मुंतजक), पिसूरी / भारतीय चवरोटैन (टरागुलुस मेमिन्ना), सांभर हिरण (रूसा यूनिकाँलर), बनबिलार (फेलिस चाउस), लघु पुच्छ वानर (मकाका रदियता), जंगल पाल्म गिलहरी (फुनामबुलुस ट्रिस्टीटूस), मालाबार बृहत गिलहरी (रतुफा इंडिका), तवांगु (लोरेस टरडिग्राडस), भारतीय क्रेस्टेड साही (हिस्ट्रिक्स इंडिका), ब्लैक नेप्पेड खरगोश (लेपुस निगरिकोल्लिस), लेस्सेर डॉग फेकड फ्रूट बैत (कीनोप्टेरुस ब्राचोटिस), भारतीय साल (मानिस क्रैसिकाउडाटा), ग्रे नेवला (हर्पस्टेस एडवर्डसी), छोटा भारतीय सिवित (विवेरिकुला इंडिका), बनैला सूअर (सस स्क्रोफा), आदि है;

और, आरालम वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी-जीव मालाबार चितकबरी धनेश (अंधराकोकेरोस कोरोनाटस), मालाबार ग्रे जंगली मुरगी (गल्लुस सोन्नेराटी), शिकारा (एकिपीटर बाडिउस), भारतीय कोयल (कुकुलस माइक्रोप्रोसेसस), श्री लंका फ्रोगमाउथ (ब्रवाचोस्तोमस मोनिलिगर), ब्राह्मणी काइट (हालिस्तुर इंडस), ग्रीन इम्पेरिअल-कबूतर (डुकुला अइनिया), एशियन कोयल (यूडोनाइडसकोलोपाकेया स्पा), ग्रे बगुला (अरदेया किनेरिया), मालाबार ट्रोगोन (हारपेक्टेस फस्किअतुस), ब्लैक कीट (मिलवउस मिगरांस), मालाबार पैराकीट (पस्ट्राकुला कोलुम्बोइडेस), मालाबार ग्रे धनेश (ओकयकेरोसगारिसेउस), ग्रेट धनेश (बुकेरोस बिकोरनिस), ब्लैक डोंगो (डिकुरस माकरोकेरकस), आदि पाए जाते हैं। जबकि अभयारण्य के सरीसृप और उभयचर मालाबार मालाबार पिट विपर (टरिमेरेउसरूस मालाबारिकस), कोबरा (नाजा नाजा), किंग कोबरा (ओपहीओफगस हन्नह), भारतीय पायथन (पायथन मोलुरुस), भारतीय रेट स्नेक (पतया मुकोसुस), निलगिरी कैलबैल (हेबिउस बेडुमिइ), सामान्य भारतीय मॉन्टर (वारानुस बेंगालेंसिस), माउंटेन डेय छिपकली (कनेमास्पिस मॉंटिकोला), नेर्रोव-माउथेड मेढक (मिकरोहयला स्पा.), ओरनाटे नार्रो-मूथेड मेढक (मिकरोहयला ओरनाटा), जेरडोन नेर्रोव मोउथेड मेढक (रामानेला मॉटोना), सामान्य भारतीय टोड (डुट्टाफरयनुस मेलानोस्टीकटस), मालाबार ट्री टोड (पेडोस्टीबेस तुबेरकुलोसुस), भारतीय मेढक (इंडिराना स्पा.), गोल्डन मेढक (हयलाराना ऑरॉंटिका), आदि हैं;

और, आरालम वन्यजीव अभयारण्य में महत्त्वपूर्ण दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियों में केरिक्किजागु (अनाफयल्लुम विघटि), कन्नराम वाली (एस्पीडोप्टेरिस कनारेंसिस), चेम्पारावाल्ली (अम्पेलोसिस्सुस इंडिका), चेरूकोरि (कियनोमेतरा बेडुमिइ), कोरी (कियनोमेतरा ट्रावांकोरिका), कक्कामुल्लु (काप्पारिस रेइडेइ), वेल्लाकसावय (ड्रिपेटेस विघटी), इटी (डालबेर्गिया लतीफोलीया), नेल्लीक्कापुली (गलोचिदिओन जेयलानिकम), इरूमबागा (होपेया परविफ्लोरा), इययकाम (होपेया पोंगा), चेरूकुरावय (लक्सोरा मालाबारिका), चुराली (किनगीओदेन्द्रों पिन्नातुम), चोरापाली (मायरीस्टिका मालाबारिका), कमबिलि (मेलिकोपे लुनु-अकेंडा), कट्टुकुरुमुलागु (पिपेर बारबेरी), मालावयराम (प्रटेरोस्पेरमुम रेटिकुलातुम), वाल्मांचि (सियगियम स्टोसकिसि), चंदनम (सन्तालूम एल्बम), पाइनिमाराम (वाटेरिया इंडिका), आदि उपलब्ध हैं;

और, आरालम वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, केरल राज्य के कन्नूर जिला के आरालम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 3.06 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार आरालम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 3.06 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 10.136 वर्ग किलोमीटर है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य के साथ सीमांकित के कारण आरालम वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी भाग में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है, जबकि अभयारण्य के पूर्व और दक्षिण-पूर्व भाग कोट्टीयूर वन्यजीव अभयारण्य के साथ सीमा को साझा करते हैं। और अतः पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार यहां भी शून्य है।

(2) आरालम वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-क** और **उपाबंध-ख** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकन करते हुए आरालम वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-क**, **उपाबंध-ख**, और **उपाबंध-ग** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और आरालम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-क** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-क** के रूप में संलग्न है।

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**-(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) एल एस जी डी, पी डब्ल्यू डी
- (iv) कृषि;
- (v) राजस्व;
- (vi) शहरी विकास;
- (vii) पर्यटन;
- (viii) ग्रामीण विकास
- (ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

- (x) नगरपालिका;
- (xi) पंचायती राज;
- (xii) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xiii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और पैराग्राफ 4 में सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह

वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में बढ़ावा दिए गए उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना

सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की

		<p>खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी;</p> <p>(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित की जाएंगी।</p>
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी:</p> <p>जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016, में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।</p>
3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिष्कावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी:</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।</p>
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण</p>

		<p>करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।</p> <p>परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।</p>
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	<p>फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।</p>
11.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

20.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों को विनियमित करना और सख्ती से निगरानी करना।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य जलाए जाने की सुविधा की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर कन्नूर या उनके प्रतिनिधि	पदेन अध्यक्ष;
(ii)	प्रतिनिधि जिला कलेक्टर वायनाड	सदस्य;
(iii)	विधान सभा के सदस्य (एमएलए), पेरवूर	सदस्य;
(iv)	अध्यक्ष, जिला पंचायत, कन्नूर	सदस्य;
(v)	पर्यावरण विभाग, केरल सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	केरल सरकार द्वारा नामित प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला अधिकारी, कन्नूर	सदस्य;
(viii)	सदस्य राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
(ix)	वन्यजीव वार्डन, अरालम	सदस्य- सचिव।

6. विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/107/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-क

क. राज्य में आरालम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

उत्तर	कर्नाटक राज्य सीमा ओदाम्थोड मालावरम का क्षेत्र आच्छादित करती है, जोकि कूर्ग जिला के चावाची थोडे के कोट्टीयूर रिज़र्व वनों के साथ निकटस्थ है।
पूर्व	वायनाड जिला सीमा उस भाग तक है जहां चावाची थोडे आरंभ होता है।
दक्षिण	चावाचीमाला में कोट्टीयूर रिज़र्व वन का उत्तर पश्चिमी भाग आच्छादित है जहां चावाची थोडे चीनकन्नीपुझा से जुड़ती है और इसके बाद वालायामचल के ओदामोदेमाला और आरालम। एवं ॥ श्रेणियों की दक्षिणी सीमा से होते हुए जाती है जहां यह खाई आरालम। एवं ॥ श्रेणियों की पश्चिमी सीमा में केंद्रीय राज्य फार्म इस समय आरालम कृषि निगम (केरल) लिमिटेड की पूर्वी सीमा से मिलती है।
पश्चिम	केंद्रीय राज्य फार्म (इस समय आरालम कृषि निगम (केरल) लिमिटेड), आरालम की पूर्वी सीमा और मनथाना भाग के अदक्का थोडे बीट की पश्चिमी सीमा है।

उपाबंध-ख


ख: केरल राज्य में आरालम वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	उत्तर की ओर ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई शून्य है।
उत्तर-पूर्व	उत्तर वायनाड संभाग के पहाड़ी डले और थीरुनेल्ली रिज़र्व वन पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई 2.1 किलोमीटर है। यह उस बिंदु से आरंभ होती है जहां कोट्टीयूर वन्यजीव अभयारण्य आरालम वन्यजीव अभयारण्य से मिलता है और लम्बाई 4.14 किलोमीटर तक विस्तृत है जहां यह कर्नाटक राज्य वन सीमा से मिलती है।
पूर्व	पूर्व की ओर कोट्टीयूर वन्यजीव अभयारण्य है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई शून्य है।
दक्षिण-पूर्व	दक्षिण पूर्व भाग में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई शून्य है जहां बिंदु कोट्टीयूर वन्यजीव अभयारण्य के साथ सीमा से आरंभ होता है।
दक्षिण	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई 100 मीटर के साथ 12.01 किलोमीटर के लिए वालायामचले

	से चावाची तक चीनकन्नूपुझा के साथ दक्षिणी भाग सीमा जाती है।
दक्षिण-पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई 100 मीटर है यह चीन्नकन्नूपुझा के बाद आबादी क्षेत्र है।
पश्चिम	बिंदु से आरालम ग्राम के थालास्सेरी तालुक, कन्नूर जिला में पश्चिमी सीमा के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई 100 मीटर के समानांतर लगभग 11 किलोमीटर की दूरी में जाती है जहां आरालम कृषि के साथ सीमा समाप्त होती है
उत्तर-पश्चिम	नीरकुन्नू मालावरम कन्नूर संभाग के 574.08 हेक्टेयर (वी एफ सी इकाई सं.4) में विस्तृत है, जहां यह राज्य सीमा समाप्त होती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई 3.06 किलोमीटर है।


उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ आरालम वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र



उपाबंध-IIख


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ आरालम वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



Annexure 1B

उपाबंध- IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ आरालम वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क : आरालम वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अवस्थान	दिशा	अक्षांश	देशांतर
1	पोट्टीचीप्पारा	उत्तर पश्चिम	11°59'16.21"उ	75°49'45.11"पू
2	मिनमुट्टी	उत्तर	11°57'2.56"उ	75°52'48.72"पू
3	करिमाला	उत्तर पूर्व	11°55'51.67"उ	75°55'36.07"पू
4	पोथुरुम्मि	पूर्व	11°55'1.70"उ	75°54'17.05"पू
5	अक्कारा कोट्टीयूर	दक्षिण पूर्व	11°53'34.54"उ	75°52'39.43"पू
6	चावाची एच क्यू	दक्षिण	11°55'31.92"उ	75°52'39.43"पू

7	कुरूक्काथोडे	दक्षिण	11°55'34.24"उ	75°50'39.73"पू
8	नारिक्कादावय	दक्षिण	11°55'47.02"उ	75°49'6.76"पू
9	वालायामचल	दक्षिण पश्चिम	11°55'22.62"उ	75°47'22.16"पू
10	कोट्टाप्यारा	पश्चिम	11°57'0.24"उ	75°48'45.84"पू
11	55 क्षेत्र	उत्तर पश्चिम	11°58'28.56"उ	75°49'31.16"पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	नाम	दिशा	अक्षांश	देशांतर
1	पोट्टीचिप्पारा	उत्तर पश्चिम	11°59'55.72"उ	75°49'28.84"पू
2	अम्बालाप्यारा	उत्तर पूर्व	11°56'20.73"उ	75°56'26.04"पू
3	थीरुनेल्ली	उत्तर पूर्व	11°56'20.73"उ	75°56'58.58"पू
4	एन.वयनांद/ ओडकायट्टम के पास	पूर्व	11°55'17.97"उ	75°56'9.77"पू
5	माकरिकोल्ली के निकट	पूर्व	11°54'38.46"उ	75°55'55.83"पू
6	पोथूरुम्मि के निकट	पूर्व	11°54'59.38"उ	75°55'29.10"पू
7	वालायामचल	पश्चिम	11°56'45.13"उ	75°48'0.51"पू
8	10 खंड	पश्चिम	11°57'13.02"उ	75°48'44.68"पू
9	कोट्टाप्यारा	पश्चिम	11°58'7.64"उ	75°48'43.51"पू
10	पारिप्पुथोडे एच क्यू	उत्तर पश्चिम	11°59'31.32"उ	75°47'47.73"पू

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांको के साथ आरालम वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	नाम	प्रारूप	तालुक	जिला	अक्षांश	देशांतर
1	आरालम	राजस्व	थालास्सेरी	कन्नूर	11°56'31.26"उ	75°47'22.85"पू
2	केलाकम	राजस्व	थालास्सेरी	कन्नूर	11°55'33.67"उ	75°48'15.31"पू
3	थिरुनेल्ली	राजस्व	मनानथावडी	वायानंद	11°55'57.61"उ	75°56'33.15"पू

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2020

S.O. 2393(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 1249 (E), dated 29th March, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Aralam Wildlife Sanctuary is spread over an area of 55 square kilometres, located in the south east part of Kannur District. The Sanctuary falls in Aralam, Kelakam and Kottiyoor revenue villages in Iritty Taluk of Kannur District in the State of Kerala;

AND WHEREAS, Aralam Wildlife Sanctuary lies between 11°54' and 11°59' North latitude and 75°47' and 75°57' East longitude and is the northernmost protected area of Kerala state. The Sanctuary is located in the northwest slopes of Western Ghats contiguous with the forests of Coorg (Kodagu) district of Karnataka state. The Sanctuary was constituted in the year 1984 as per GO (P) 300/84/AD dated 15th October, 1984. It was formed by carving out areas from the Odanthode Malavaram of Thalassery special division which was an erstwhile private forest, subsequently taken over by Govt. as per the provisions of the Kerala Private Forests (Vesting and assignment) Act 1971 and from the Kottiyoor RF of Wayanad Forest Division. The vested forest portion of the Sanctuary is 32.64 square kilometres and the remaining 22.36 square kilometre is part of Kottiyoor Reserved Forest. Till 30th June, 1998 this Sanctuary was

a Range in Wayanad Wildlife Division. It started functioning as an independent Wildlife Division since 1st July, 1998 as per GO (MS) 36/98 dated 27th May, 1998;

AND WHEREAS, the forests of Aralam Wildlife Sanctuary and adjacent areas represent the only compact protected patch of vegetation belonging to the unique vegetation sub-type viz the *Dipterocarpus-Mesua-Palaquium* sub-type in Kerala. The edaphic conditions of the region are distinct from those of the southern reaches;

AND WHEREAS, Aralam Wildlife Sanctuary is a contiguous block of forests stretching to the adjacent Wayanad-Brahmagiri and Wayanad northern slopes. The forests are also contiguous with the protected areas of the Karnataka state namely the Brahmagiri Wildlife Sanctuary and also with the forests of Coorg and assume much importance in meta-population management especially with regard to the case of larger mammals such as gaur, elephant, tiger and endemic primates such as lion-tailed macaque and nilgiri langur and birds such as Malabar pied hornbill and great pied hornbill. This is the only area where maximum number of Malabar pied hornbill is met within the Kerala portion of Western Ghat;

AND WHEREAS, Aralam Wildlife Sanctuary forms a vital link in the network of protected areas stretching from north to south along the Western Ghats. Aralam forests with its local specialized ecological niche support a variety of endemic species, which are in the verge of extinction. Another unique feature of the Sanctuary is the presence of 5 species of diurnal primates viz lion-tailed macaque (*Macaca silenus*), nilgiri langur (*Semnopithecus johnii*) (NL), black footed grey langur (*Semnopithecus hypoleucos*), common langur or Hanuman langur (*Semnopithecus entellus*) and Bonnet macaques (*Macaca radiata*) and one species of nocturnal primate i.e. Malabar slender loris (*Loris ledekkerianus malabaricus*);

AND WHEREAS, the major flora of the Sanctuary are kunnivaka (*Albizia procera*), ezhilampaala (*Alstonia scholaris*), kasumavu (*Acanardium occidentale*), chemparavalli (*Ampelocissus indica*), mula (*Bamboosa bamboos*), mulluvenga (*Bridelia retusa*), pezhu (*Carreya arborea*), kanikonna (*Cassia fistula*), kodangal (*Centella asiatica*), eetti (*Dalbergia latifolia*), arasu (*Ficus religiosa*), kudampuli (*Garciniagummi-gutta*), chadachi (*Grewia tiliifolia*), manjakadambu (*Haldina cordifolia*), arippu (*Lantana camara*), venthekku (*Largerstomia lanceolata*), kadambu (*Mitragyna parvifolia*), maavu (*Mangifera indica*), naikambagam (*Prunus ceylanica*), mazhavaaka (*Samaniasaman spp*), teak (*Tectona grandis*), maruth (*Terminalia paniculata*), mylellu (*Vitex altissima*), kotta (*Ziziphus xylopyrus*), etc;

AND WHEREAS, the fauna of the Aralam Wildlife Sanctuary are Asian elephant (*Elephas maximus*), tiger (*Panthera tigris*), leopard (*Panthera pardus*), leopard cat (*Felis bengalensis*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), mouse deer /Indian chevrotain (*Tragulus meminna*), sambar deer (*Rusa unicolor*), jungle cat (*Felis chaus*), bonnet macaque (*Macaca radiata*), jungle palm squirrel (*Funambulus tristriatus*), Malabar giant squirrel (*Ratufa indica*), slender loris (*Loris tardigradus*), Indian crested porcupine (*Hystrix indica*), black napped hare (*Lepus nigricollis*), lesser dog faced fruit bat (*Cynopterus brachyotis*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), grey mongoose (*Herpestes edwardsi*), small Indian civet (*Viverricula indica*), wild boar (*Sus scrofa*), etc;

AND WHEREAS, the avifauna found in the Aralam Wildlife Sanctuary are Malabar pied hornbill (*Anthracoceros coronatus*), grey junglefowl (*Gallus sonneratii*), shikra (*Accipiter badius*), Indian cuckoo (*Cuculus micropterus*), Sri Lanka frogmouth (*Batrachostomus moniliger*), brahminy kite (*Haliastur Indus*), green imperial-pigeon (*Ducula aenea*), Asian koel (*Eudynamysscolopacea spp*), grey heron (*Ardea cinerea*), Malabar trogon (*Harpactes fasciatus*), black kite (*Milvus migrans*), Malabar parakeet (*Psittacula columboides*), Malabar grey hornbill (*Ocyroceros griseus*), great hornbill (*Buceros bicornis*), black drongo (*Dicrurus macrocercus*), etc. While reptiles and amphibians of the Sanctuary are Malabar pit viper (*Trimereurus malabaricus*), cobra (*Naja naja*), king cobra (*Ophiophagus hannah*), Indian python (*Puthon molurus*), Indian rat snake (*Ptyas mucosus*), Nilgiri keelback (*Hebius beddomei*), common Indian monitor (*Varanus benghalensis*), mountain day gecko (*Cnemaspis monticola*), narrow-mouthed frog (*Microhyla sp.*), ornate narrow-mouthed frog (*Microhyla ornata*), Jerdon's narrow mouthed frog (*Ramanella montana*), common Indian toad (*Duttaphrynus melanostictus*), Malabar tree toad (*Pedostibes tuberculosus*), Indian frog (*Indirana sp.*), golden frog (*Hylarana aurantiaca*), etc;

AND WHEREAS, the important rare, endangered and threatened species available in the Aralam Wildlife Sanctuary are keerikkizhangu (*Anaphyllum wightii*), kannaram valli (*Aspidopterys canarensis*), chemparavalli (*Ampelocissus indica*), cherukoori (*Cynometra beddomei*), koori (*Cynometra travancorica*), kakkamullu (*Capparis rheedei*), vellakasavu (*Drypetes wightii*), eeti (*Dalbergia latifolia*), Nellikkapuli (*Glochidion zeylanicum*), irumbaga (*Hopea parviflora*), eyyakam (*Hopea ponga*), cherukuravu (*Ixora malabarica*), churali (*Kingiodendron pinnatum*), chorapali (*Myristica malabarica*), kambili (*Melicope lunu-ankenda*), kattukurumulagu (*Piper barberi*), malayuram (*Pterospermum reticulatum*), vallamanchi (*Syzygium stocksii*), chandanam (*Santalum album*), painimaram (*Vateria indica*), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Aralam Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 3.06 kilometres around the boundary of Aralam Wildlife Sanctuary, in Kannur district in the State of Kerala as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 3.06 kilometres around the boundary of Aralam Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 10.136 square kilometres. *Zero extent of Eco-sensitive Zone in the northern side of Aralam Wildlife Sanctuary is due to bordering with the Brahmagiri Wildlife Sanctuary of Karnataka, while east and south-east side of the Sanctuary shares boundary with Kottiyoor Wildlife Sanctuary and hence the extent of Eco-sensitive Zone is also zero here.*
 - (2) The boundary description of Aralam Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-IA** and **Annexure-IB**.
 - (3) The maps of the Aralam Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, **Annexure-IIB**, and **Annexure-IIC**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Aralam Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III**.
 - (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) LSGD, PWD
 - (iv) Agriculture;
 - (v) Revenue;
 - (vi) Urban Development;
 - (vii) Tourism;
 - (viii) Rural Development;
 - (ix) Irrigation and Flood Control;
 - (x) Municipal;
 - (xi) Panchayati Raj;
 - (xii) Kerala State Pollution Control Board; and
 - (xiii) Public Works Department.
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places,

horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or Eco-tourism.-**(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**-Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.**-Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**-Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**-Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

- (12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		Government. b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio-medical waste.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector Kannur or his representative	Chairman, ex officio
(ii)	Representative District Collector Wayanad	Member;
(iii)	Member of the Legislative Assembly (MLA), Peravoor	Member;
(iv)	President, District Panchayath, Kannur	Member;
(v)	Representative of the Department of Environment, Government of Kerala	Member;
(vi)	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vii)	Kerala State Pollution Control Board, District Officer, Kannur	Member;
(viii)	Member State Biodiversity Board	Member;
(ix)	The Wildlife Warden, Aralam	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/107/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- IA**A. BOUNDARY DESCRIPTION OF ARALAM WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE KERALA**

North	Karnataka State boundary covering the area of Odamthodu Malavaram, which is continuous with the Kottiyoor Reserve Forests up to Chavachithode of Coorg District.
East	Wayanad District boundary up to the part where Chavachithode begins.
South	Chavachimala covering North Western Portion of Kottiyoor Reserve Forests where Chavachithode joins at Cheenkannipuzha and then through the southern boundary of Odamthodemala and Aralam I & III Ranges up to Valayamchal where its trenches meet the eastern boundary of Central State Farm (presently Aralam Farming Corporation (Kerala) Ltd.) in the Western boundary of Aralam I & III Ranges.
West	Eastern boundary of Central State Farm (presently Aralam Farming Corporation (Kerala) Ltd.), Aralam and Western boundary of Adakkathode beat of Manathana Section.


ANNEXURE- IB**B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND ARALAM WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE KERALA**

North	Towards the north is Brahmagiri Wildlife Sanctuary and the width of Eco-Sensitive Zone is Zero.
North-East	Hill Dale and Thirunelli Reserve Forests of North Wayanad Division. The width of Eco-sensitive Zone is 2.1 kilometer. It starts from the point where Kottiyoor Wildlife Sanctuary meets Aralam Wildlife Sanctuary and extends to a length of 4.14 Km where it meets Karnataka State Forest boundary.
East	Towards the East is Kottiyoor WLS and the width of Eco-sensitive Zone is Zero.
South-East	The width of the Eco-sensitive Zone is zero at the SE side where the point starts to border with Kottiyoor WLS.
South	The Southern side borders with Cheenkannipuzha from Valayamchal to Chavachi for 12.1 Km with the Eco-sensitive Zone width being 100 meter.
South-West	The width of Eco-sensitive Zone is 100 meter as it is inhabited area after Cheenkannippuzha.
West	A distance of about 11 Km having a width of Eco-sensitive Zone is 100 meter parallel to the PA along western boundary in Aralam village of Thalassery Taluk, Kannur District from point where the boundary with Aralam Farm ends.

North-West	Neerkunnu Malavaram having an extent of 574.08 ha (VFC item No. 4) of Kannur Division, where it ends at the state boundary. The width of Eco-sensitive Zone is 3.06 km.
-------------------	---


ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF ARALAM WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF ARALAM WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF ARALAM WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ARALAM WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Location	Direction	Latitude	Longitude
1	Pottichippara	NW	11°59'16.21"N	75°49'45.11"E
2	Meenmutty	N	11°57'2.56"N	75°52'48.72"E
3	Karimala	NE	11°55'51.67"N	75°55'36.07"E
4	Pothurummi	E	11°55'1.70"N	75°54'17.05"E
5	Akkara Kottiyoor	SE	11°53'34.54"N	75°52'39.43"E

6	Chavachi HQ	S	11°55'31.92"N	75°52'39.43"E
7	Kurukkathode	S	11°55'34.24"N	75°50'39.73"E
8	Narikkadavu	S	11°55'47.02"N	75°49'6.76"E
9	Valayamchal	SW	11°55'22.62"N	75°47'22.16"E
10	Kottappara	W	11°57'0.24"N	75°48'45.84"E
11	55 th area	NW	11°58'28.56"N	75°49'31.16"E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Name	Direction	Latitude	Longitude
1	Pottichippara	NW	11°59'55.72"N	75°49'28.84"E
2	Ambalappara	NE	11°56'20.73"N	75°56'26.04"E
3	Thirunelli	NE	11°56'20.73"N	75°56'58.58"E
4	N.wynd/ Near Odakayattam	E	11°55'17.97"N	75°56'9.77"E
5	Near Makrikolli	E	11°54'38.46"N	75°55'55.83"E
6	Near Pothurummi	E	11°54'59.38"N	75°55'29.10"E
7	Valayamchal	W	11°56'45.13"N	75°48'0.51"E
8	10 Block	W	11°57'13.02"N	75°48'44.68"E
9	Kottappara	W	11°58'7.64"N	75°48'43.51"E
10	Paripputhod HQ	NW	11°59'31.32"N	75°47'47.73"E

ANNEXURE-IV**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF ARALAM WILDLIFE SANCTUARY
ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl. No.	Name	Type	Taluk	District	Latitude	Longitude
1	Aralam	Revenue	Thalassery	Kannur	11°56'31.26"N	75°47'22.85"E
2	Kelakam	Revenue	Thalassery	Kannur	11°55'33.67"N	75°48'15.31"E
3	Thirunelli	Revenue	Mananthavady	Wayanad	11°55'57.61"N	75°56'33.15"E

ANNEXURE –V**Performa of Action Taken Report:-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.